संगीताचार्य

गायन वादन

(क्रियात्मक तथा शास्त्र)

संगीत अलंकार उत्तीर्ण होने के बाद कम से कम दो वर्ष बाद ही विद्यार्थी इस परिक्षा में बैठने के अधिकारी होंगे। यह संगीत की अंतिम परीक्षा होने के नाते इस परीक्षा में बैठनेवाले विद्यार्थी को संगीत के क्रियात्मक अंग तथा उससे संबंधित शास्त्र पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेना अत्यंत आवश्यक होगा। संगीत के प्रात्यक्षिक (Demonstration and Performance) में विशेष योग्यता एवं व्यक्तित्त्व के प्रकटीकरण की भी अपेक्षा है। वास्तव में संगीत आचार्य यह केवल परीक्षा न होकर, मंडल द्वारा विद्यार्थी के संगीत के क्रियात्मक पक्ष पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेने का प्रमाण है। इसी कारण यद्यपि परीक्षार्थी एवं परीक्षक की सुविधा तथा मार्गदर्शन के लिए कुछ पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है किन्तु विद्यार्थी को सभी प्रचलित तथा अप्रचलित रागों, गायन वादन की विशिष्ट शैलियों तथा क्रियात्मक संगीत संबंधित सभी समस्याओं का अध्ययन कर उनके संबंध में निश्चित मत बनाना आवश्यक है। इसी प्रकार पाठ्यक्रम में दिए गए निर्देशों के अनुसार चुने हुए रागों का अधिकार-पूर्ण प्रदर्शन करने की योग्यता होनी चाहिए। प्राचीन और अर्वाचीन रचनाओं का संकलन, संशोधन, अध्ययन, तथा नवीन रचना बनाने में कुशलता एवं प्राविण्य अपेक्षित हैं। संगीत के प्रदर्शन, शिक्षण सौंदर्यशास्त्र, लोकरुचि आदि संबंधी समस्याओं का अध्ययन भी संगीत आचार्य के विद्यार्थी को करना ही होगा।

इस परीक्षा में परीक्षकों की सुविधा के लिए अधिकतम अंक - विभाजन तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक आदि निश्चित किये गये हैं। किन्तु परीक्षक मंडल को सर्वसम्मति से केवल यही निर्णय लेना है कि विद्यार्थी संगीताचार्य घोषित करने योग्य है अथवा नहीं। संगीत आचार्य की परीक्षा में कोई श्रेणी नहीं होगी। संगीत आचार्य की परीक्षा तीन भागों में होगी।

Scanned by CamScanner

1. विद्यार्थी को संगीत के क्रियात्मक पक्ष से संबंधित किसी विषयपर एक विस्तृत निबंध लिखना होगा, जो साधारणः 30-40 पृष्ठों (लगभग 5000 शब्द) का होगा। इस निबन्ध की 3 प्रतियां 15 अक्तूबर तक रजिस्ट्रार को प्राप्त हो जानी चाहिए। इस निबंध के बारे में चर्चा मौखिक परीक्षा के साथ की जायेगी। इसके लिए 100 अंक निर्धारित हैं।

2. एक मौखिक परीक्षा जिसमें परीक्षक मंडल, पाठ्यक्रम के आधार पर विद्यार्थी की क्रियात्मक संगीत संबधी योग्यता की परख करेगा। यहां फिर इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है कि पाठ्यक्रम सुविधा के लिए बनाया गया है तथा मौखिक के समय पाठ्यक्रम के बाहर के भी राग पूछे जा सकते हैं। मौंखिक परीक्षा (Practical – Viva) के लिए 200 अंक निर्धारित हैं।

3. प्रदर्शन : इस परीक्षा में एक अथवा परीक्षक मंडल की इच्छा पर दो मंच प्रदर्शन होंगे। जिनमें से हर सभा में विद्यार्थी अपने चुने हुए किन्हीं दो रागों का संपूर्ण प्रदर्शन करेगा। इसके उपरांत अपनी इच्छा अनुसार कोई उपशास्त्रीय (Light classical) अथवा लोकगीत (Folk music) की रचना का प्रदर्शन भी कर सकेगा।

4. अगर परीक्षक मंडल ने आवश्यक समझा तो दूसरा मंचप्रदर्शन भी इसी प्रकार होगा। दूसरे मंचप्रदर्शन के राग का चुनाव परीक्षक मंडल के सुझाव के अनुसार भी किया जा सकता है। दोनों मंचप्रदर्शनों को मिलाकर कुल 200 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार निबंध के लिए 100 अंक, मौखिक (viva) के 200 अंक तथा मंच प्रदर्शन के 200 अंक ऐसा विभाजन संगीत आचार्य की परीक्षा में रहेगा। इस परीक्षा के लिए अधिकतम अंक 500 रहेंगे तथा उत्तीर्ण घोषित होने के लिए विद्यार्थी को कम से कम 350 अंक प्राप्त करने आवश्यक हैं। उत्तीर्ण विद्यार्थी की कोई भी श्रेणी घोषित नहीं की जायेगी।

Scanned by CamScanner

5. संगीताचार्य के लिए मान्यवर विश्वविद्यालय की उपाधि परीक्षा (पदवी) उतीर्ण होना आवश्यक है।

6. थीसिस मंडल की प्रॉपर्टी रहेगी। उसपर मंडल का अधिकार रहेगा। प्रकाशनार्थ मंडल की अनुमति आवश्यक होगी।

संगीत आचार्य के लिए निर्धारित रागों के संकेत :-

विद्यार्थीयों की सुविधा के लिए यहां रागों के 10-12 गुट बनायें गए हैं, और उनमें कुछ रागों का नामनिर्देश हैं।

इस सूचि के अलावा भी जो राग (अलंकार के पाठ्यक्रम के अलावा) इन गुटों में आ सकते हों और प्राप्य हों उन्हें भी इस सूचि में शामिल किया जा सकता है। विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह हर गुट से गायकी के लिए नियत की गयी राग संख्या के अनुसार राग चुनकर उन्हें तैयार करेगा। अन्य सब रागों की जानकारी होनी चाहिए। परीक्षा के समय गायकी के लिए चुने गए रागों की सूचि (तीन प्रतियाँ) विद्यार्थी परीक्षक मंडल को देगा। हर मंच प्रदर्शन में इस सूचि में से कम से कम से कम एक राग गाना/बजाना आवश्यक है। दूसरा राग विद्यार्थी की इच्छानुसार कोई भी हो सकता है। अलंकार परीक्षा में निर्धारित साधारण ज्ञान के राग भी सूचि में शामिल किए जा सकते है।

1. **पूर्वी, गौरी-प्रकार** – चैतीगौरी, आसागौरी, मालीगौरी, ललितागौरी, रेवा बिभास (पूर्वी थाट), हंसनारायणी, त्रिवेणी (इस वर्ग के दो राग गायकी के लिए चुनने हैं।)
2. **मारवा थाट व पंचम प्रकार** – पंचम, ललितपंचम, बसंत पंचम, जैत, साजगिरी, भंकार (इस वर्ग से गायकी के लिए दो राग चुने जायेंगे।)
3. **कल्याण, केदार, बिहाग, प्रकार** – सावनी कल्याण, दुर्गा कल्याण, जैत कल्याण, सावनी, नट बिहाग, हेम कल्याण, नट केदार, मलूहा केदार, बसंत केदार (इस वर्ग से भी दो राग गायकी के लिए चुने जायेंगे।)

Scanned by CamScanner

4. **बिलावल, नट प्रकार** – ओडव देवगिरी, सरपरदा, लच्छासाख, शुक्ल बिलावल, नट बिलावल, नट कामोद, केदार नट, शुद्ध नट, गुणकली (इस वर्ग से गायकी के लिए २ राग चुने जायेंगे।)

5. **मल्हार, बहार प्रकार** – नट मल्हार, रामदासी मल्हार, मेघ मल्हार, जयंत मल्हार, नानक मल्हार, धुंडिया मल्हार, चरजू की मल्हार, केदार–देस मल्हार, बसंत बहार, रागेश्री बहार, केदार बहार, हिंडोल बहार, कानड़ा बहार (इस वर्ग से दो राग गायकी के लिए चुने जायेंगे।)

6. **सारंग और धनाश्री अंग के प्रकार** – बडहंस सारंग, सामंत सारंग, लंका दहन सारंग, मियांकी सारंग, बरवा, धनाश्री, प्रदीपकी हंसकिंकिणी, गावती, भीम (इस वर्ग से दो राग गायकी के लिए चुनने है।)

7. **कानडा प्रकार** – सूहा सुधराई, शहाना, देवसाख, कौसी कानडा, अभोगी, काफी कानडा, हुसैनी कानडा, बागेश्री कानडा, रायसा कानडा (इस वर्ग से दो राग गायकी के लिए चुने जायेंगे।)

8. **भैरव प्रकार** – बंगाल भैरव, प्रभात भैरव, आनन्द भैरव, कौसी भैरव शिवमत भैरव, जोगिया, गुणक्री, (इस वर्ग से २ राग गायकी के लिए चुने जायेंगे।)

9. **आसावरी, तोड़ी, भैरवी प्रकार** – गांधारी, देवगंधार, भूपाल तोड़ी, खट, लाचारी तोड़ी, गोपी बसन्त, बसंत मुखारी, बहादुरी तोड़ी (इस वर्ग से दो राग गायकी के लिए चुने जायेंगे।)

गुणपत्रिका : संगीत प्रवीण गायन/वादन :

मंच प्रदर्शन, ख्याल गायकी, सोलो वादन: 200 अंक,
निबंध : 100 अंक,
मौखिक परीक्षा : 200 अंक,
सर्वयोग : 500 अंक।

Scanned by CamScanner

संगीताचार्य (शास्त्र)

गायन वादन

(केवल प्रबन्ध द्वारा)

1. संगीताचार्य के लिए उन्हीं विद्यार्थियों को अनुमति दी जायेगी जो अ. भा. गांधर्व महाविद्यालय मण्डल, मुंबई की संगीत अलंकार नामक उपाधि अथवा उसकी समकक्ष अन्य उपाधि, अथवा संगीत में एम. ए. की उपाधि प्राप्त कर चुके हों।

2. आवेदन-पत्र के साथ विद्यार्थी को चार ऐसे शीर्षकों (Topics) का भी उल्लेख करना होगा। जिन पर वह खोज करना चाहता है। उन शीर्षकों पर खोज करने की रुपरेखा (Synopsis) भी देनी होगी। मंडल उनमें से किसी एक शीर्षक को चुनकर उसे देगा और उसी पर विद्यार्थी को खोज कार्य करना होगा। शीर्षक ऐसे चुने जाने चाहिये कि, जिन पर कुछ ठोस कार्य हो सके और जिनमें संगीत संबंधी क्रिया, शास्त्र, इतिहास, प्रयोग आदि अंगों में से किसी एक का ज्ञान बढ सके अथवा तत्सम्बन्धी किसी सन्देह अथवा भ्रम का निवारण हो सके।

3. प्रत्येक विद्यार्थी को अपने शीर्षक पर कम से कम दो अध्ययन करके अपना खोज-प्रबन्ध तैयार करना होगा। यह प्रबन्ध कम से कम 75 पूर्ण पृष्ठों (Foolscap Paper) का होना चाहिये। उसमें उस शीर्षक के सम्बन्ध में नई बात पर प्रकाश पडता हो या उसमें पहले से प्रतिपादित ऐसी किसी बात पर नया प्रकाश पडता हो उसकी व्याख्या नई दृष्टि या नई विधि से की गई हो या अब तक किसी अपूर्ण और अस्पष्ट सी दिखने वाली बात को स्पष्ट ढंग से समझाया गया हो।

4. प्रबन्ध पूर्ण होने के चार माह पूर्व विद्यार्थी को इस बात की सूचना मण्डल को देनी होगी और तब मण्डल उसके निरीक्षण के लिए तीन परीक्षक नियुक्त करेगा। विद्यार्थी को प्रबन्ध की 3 प्रतियाँ रजिस्ट्रार के पास भेजनी होंगी और रजिस्ट्रार एक - एक प्रति

Scanned by CamScanner

प्रत्येक परीक्षक को भेजेगा। यदि तीन में से दो परीक्षक प्रबन्ध को सफल घोषित कर देंगे तो मण्डल उस विद्यार्थी को संगीत आचार्य की उपाधि पाने का अधिकारी मान लेगा। यदि तीन में से दो परीक्षक यह राय प्रकट करेंगे कि उस निबन्ध के सम्बन्ध में विद्यार्थी से बातचीत भी की जाये तो मण्डल उसका भी प्रबन्ध करेगा। यह तभी आवश्यक होगा जब प्रबन्ध साधारणत: सफल मान लिया जायेगा और उसका विषय ऐसा होगा कि जिसमे अपने सामने बात करने से वह अधिक स्पष्ट हो सकेगा। जब प्रबन्ध आवश्यक स्तर से नीचा होगा अथवा जब यह निश्चित रुप से सफल घोषित करने योग्य नहीं होगा तब बातचीत की आवश्यकता नहीं होगी।

5. प्रबन्ध की पूर्ति की सूचना भेजने और परीक्षकों की नियुक्ति की माँग करने के समय विद्यार्थी को अपने आवेदन-पत्र के साथ-साथ संगीताचार्य का परीक्षा शुल्क भी रजिस्ट्रार के पास भेजना होगा।

6. दोनों बाहरी परीक्षकों की रिपोर्ट मंडल के सदस्य - परीक्षक के पास आयेंगी, और वही अन्तिम फल की सूचना मंडल के रजिस्ट्रार को देगा । रजिस्ट्रार उचित समय पर विद्यार्थी को परिणाम की सूचना भेजेगा।

7. संगीताचार्य के लिए मान्यवर विश्वविद्यालय की पदवी उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

Scanned by CamScanner